सं0-4/1/87-पी0 एंड पी0डब्लू0(पी0आई0सी0-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
जान मार्केट, नई दिल्ली-110002

दिनांक: 23 जुलाई, 1996

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि योजना को पेंशन योजना में परिवर्तित करना-वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों, के लिए एक समान नीति का प्रतिपादन करने के बारे में

मुझे, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 12-10-92 के ज्ञा0 ज्ञा0 का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों, इसके बाद वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के रूप में निर्दिष्ट, इलेक्ट्रानिक्स विभाग, परमाणु उर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में कार्यरत कार्मिकों के लिए पेंशनभोगी/सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की योजना पर इन विभागों के परामर्श से पुनर्विलोकन किया है । पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1-8-1992 को इन तीन विभागों में कार्यरत वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों को, उपर्युक्त आदेशों के जारी होने के पूर्व अनुभव्य पेंशनभोगी/सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं को पहले के समान ही बनाये रखा जाएगा । उनके पेंशनभोगी/सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के मामले, इन तीन विभागों द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत नियंत्रित होंगे ।

2. इन तीन विभागों के 1-8-1992 को अथवा उसके बाद नये प्रवेश के रूप में कार्यग्रहण करने वाले वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि उनके लिए निम्नलिखित समान नीति अपनाई जाए :-

(i) परमाणु उर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा ऐसे अन्य वैज्ञानिक विभागों में कार्यग्रहण करने वाले सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों, जिन्होंने परमाणु उर्जा विभाग में प्रचलित पद्धति को अपनाया है, की प्रारंभिक नियुक्ति अंशदायी भविष्य निधि योजना पर की जाएगी ।

(ii) अंशदायी भविष्य निधि को पेंशन योजना में परिवर्तित करने का अंशदायी भविष्य निधि योजना में ही बने रहने से इनमें एक बार विकल्प का प्रयोग वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नहीं ।

(iii) जो ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर किसी विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं उनके लिए यह मान लिया जायगा कि उन्होंने पेंशन योजना में परिवर्तन के लिए विकल्प दिया है ।

(iv) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा । अतः पेंशन योजना से अंशदायी भविष्य निधि योजना में परिवर्तन अनुमत्य नहीं है ।

3. इन विभागों के ऐसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक जो 1-8-1992 को सेवारत थे तथा दिनांक 12-10-92 के का०ज्ञा० के पैरा 2 के संदर्भित विकल्प देने के बाद सेवामुक्त हो गए हैं, उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट संबंधित विभागों में लागू आदेशों के अनुसार छः महीने के भीतर नया विकल्प दे सकते हैं । इन मामलों में पेंशनभोगी/सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की नए विकल्पानुसार पुनः गणना की जाए ।

4. परमाणु उर्जा विभाग आदि से अनुरोध है कि वे इन आदेशों को अपने अधीन कार्यरत सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के ध्यान में लाएं ।

(एस० सी० बत्रा)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. परमाणु उर्जा विभाग, बम्बई
2. अंतरिक्ष विभाग, बंगलौर
3. इलैक्ट्रानिक्स विभाग, नई दिल्ली ।